## खास-खबरें

### गोवंश संरक्षण की मांग को लेकर निकली पदयात्रा, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

**नईदुनिया, प्रतिनिधि, रायसेनः** देशी गोवंश की सेवा, सुरक्षा और सम्मान की मांग को लेकर सोमवार शाम हिंदू संगठनों और संत-महात्माओं ने रायसेन में पदयात्रा निकाली। राधा-कृष्ण मंदिर, रामलीला मैदान से शुरू हुई यात्रा मुख्य मार्ग और सांची रोड से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय को सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार से गोवंश संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनाने तथा अलग गो पालन मंत्रालय की स्थापना की मांग की गई। साथ ही देशी गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए प्रभावी नीति लागू करने का आग्रह भी किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस संबंध में देश की 5100 तहसीलों से सवा पांच करोड़ से अधिक हस्ताक्षरों के साथ पहले भी प्रार्थना पत्र भेजा गया था। इस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण पुनः अनुस्मारक के रूप में ज्ञापन सौंपा गया है। पदयात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, संत-महात्मा और गौ-भक्त शामिल हुए। प्रतिभागियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर गो-संरक्षण के समर्थन में नारे लगाए। यात्रा में एक बछड़ा भी आकर्षण का केंद्र रहा।

### शाउमावि पाटन को शत-प्रतिशत बोर्ड परीक्षा परिणाम पर जिला प्रशासन ने किया सम्मानित

**नईदुनिया, प्रतिनिधि, सीहोर :** गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा अंतर्गत आयोजित 'सांदीपनी उत्सव' के सम्मान समारोह में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पाटन (विकासखंड सीहोर) को सत्र 2025-26 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम प्राप्त करने पर जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

विद्यालय की प्राचार्य शाहिना खान के कुशल नेतृत्व, शिक्षकों की सतत मेहनत तथा विद्यार्थियों के अनुशासित प्रयासों से विद्यालय ने यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस सम्मान के लिए विद्यालय परिवार ने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस उपलब्धि में विद्यालय के समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

# राशन दुकान संचालक महिलाओं ने खोला मोर्चा, कमीशन में कटौती से हैं आक्रोशित

▸▸ 25 हजार रुपए मानदेय की मांग की

**नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुरः** कोरोना महामारी जैसी विकट परिस्थितियों में भी बिना रुके पात्र हितग्राहियों तक राशन पहुंचाने वाली महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य अब अपने ही हक के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का संचालन कर रही इन महिलाओं ने कमीशन में अचानक की गई भारी कटौती के विरोध में सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 1 बजे बड़ी संख्या में एकत्रित हुई महिलाओं ने प्रधानमंत्री और कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर आलोक वर्मा को ज्ञापन सौंपकर कमीशन बढ़ाने सहित अपनी अन्य लंबित समस्याओं के शीघ्र निराकरण की गुहार लगाई है।

**बिना सूचना घटाया गया कमीशन, खर्च उठाना हुआ मुश्किलः** ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2018 में महिला स्व-सहायता समूहों को राशन दुकानों के संचालन का जिम्मा सौंपा था। तब से वे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही हैं। शुरुआत में उनका मासिक कमीशन 8,400 रुपए तय था, जिसे बाद में बढ़ाकर 10,500 रुपए किया गया था। महिलाओं का आरोप है कि हाल ही में, बिना किसी पूर्व सूचना के उनके कमीशन में भारी कटौती कर दी गई है। कुछ दुकानों का कमीशन घटाकर 8,000 रुपए और वर्ष 2023 के बाद शुरू हुई दुकानों का कमीशन महज 5,500 रुपए कर दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इतनी कम राशि में दुकान का किराया, बिजली का बिल, इंटरनेट, परिवहन और अन्य खर्चे उठाना पूरी तरह से असंभव हो गया है।

**ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगेंः** ज्ञापन में मांग की गई कि दुकान संचालकों का मासिक कमीशन बढ़ाकर न्यूनतम 25,000 रुपए किया जाए और हाल ही में काटी गई कमीशन राशि वापस लौटाई जाए, साथ ही भुगतान नियमित समय पर हो, पंचायत स्तर पर राशन दुकान के लिए स्थायी शासकीय भवन उपलब्ध कराया जाए, इसके अलावा सर्वर और पीओएस मशीन की तकनीकी खामियों का स्थायी समाधान किया जाए, तुलावटी का मानदेय और सेल्समैन का वेतन निर्धारित किया जाए। कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा जैसी अनिवार्य सुविधाएं प्रदान की जाएं, खाद्यान्न परिवहन और तुलाई व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए।

**मांगें नहीं मानी तो प्रदेशभर में होगी हड़ताल**

प्रदर्शन में शामिल महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि इतने कम कमीशन में राशन दुकान का संचालन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसमें दुकान का किराया और तौलने वाले का खर्च भी बमुश्किल निकल पाता है। आक्रोशित महिलाओं ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि यदि जल्द ही उनके कमीशन में सम्मानजनक वृद्धि नहीं की गई और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो प्रदेशभर की राशन दुकानें बंद कर दी जाएंगी और वे शांतिपूर्ण हड़ताल पर जाने को विवश होंगी।

## कलेक्टर ने प्रत्येक जिला अधिकारी को सौंपा एक स्कूल और एक आंगनबाड़ी का दायित्व

**नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशाः** कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने लंबित आवेदनों एवं विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए जिला स्तर के प्रत्येक अधिकारी को एक-एक शासकीय स्कूल एवं एक-एक आंगनबाड़ी केंद्र आवंटित किए जाएंगे। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से इन संस्थानों का निरीक्षण करेंगे तथा वहां संचालित योजनाओं, व्यवस्थाओं और सुविधाओं की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के नियमित भ्रमण से शिक्षा, पोषण, स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं, विद्यार्थियों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन, आंगनबाड़ी सेवाओं, टीकाकरण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन हो सकेगा। निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों का त्वरित निराकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने समीक्षा बैठक में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिले की उपलब्धियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड तत्परतापूर्वक शीघ्रता से बनाए जाएं। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित किया जाए।

## डंपर से टकराकर पुलिया के नीचे उतरी यात्री बसःइंदौर-भोपाल हाईवे पर हादसा

**नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोरः** इंदौर-भोपाल मार्ग पर सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। अमलाहा और सोंडा के समीप हंस ट्रैवल्स की एक यात्री बस डंपर से टकराने के बाद सड़क किनारे बनी पुलिया के नीचे उतर गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं।

जानकारी के अनुसार, हंस कंपनी की यह बस इंदौर से यात्रियों को लेकर भोपाल की ओर जा रही थी। सोंडा-आमलाहा के पास सामने से आ रहे एक डंपर से बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और बस पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे के वक्त बस में कई यात्री सवार थे। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। कुछ यात्रियों को मामूली खरोंचें आईं। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मामूली रूप से घायल यात्रियों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।

## गंजबासौदा में अब तक 497.8 मिमी बारिश

**गंजबासौदा।** क्षेत्र में इस मानसून सीजन अब तक 497.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में हुई 447 मिलीमीटर बारिश से अधिक है। क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 1100 मिलीमीटर मानी जाती है, जबकि पिछले वर्ष कुल 1091 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम की अनुकूल स्थिति के चलते इस वर्ष अब तक वर्षा का क्रम संतोषजनक बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून के अभी करीब 45 दिन शेष हैं और इस दौरान अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। वर्तमान में सोयाबीन, उड़द सहित खरीफ की फसलों को धूप और बारिश का संतुलित लाभ मिल रहा है, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन की उम्मीद है।

## अवैध रेत उत्खनन करते पांच जेसीबी मशीनें जब्त

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भैरूंदाः** जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम चौरसाखेड़ी रेत घाट से पांच जेसीबी मशीनें जब्त कीं। सभी मशीनों को गोपालपुर थाना पुलिस की अभिरक्षा में सौंपकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, 26 जून से 30 सितंबर तक जिले की सभी रेत खदानों से उत्खनन पर प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों पर रात के समय मशीनों से अवैध खनन किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी के आधार पर खनिज विभाग की टीम ने चौरसाखेड़ी रेत घाट पर दबिश देकर कार्रवाई की।

अधिकारियों के अनुसार, कुछ स्थानों पर नावों और पांडुब्बी मशीनों की मदद से नदी से रेत निकालकर डंपरों के माध्यम से परिवहन किए जाने की भी जानकारी मिली है। इससे प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेशों के साथ पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है।

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन एवं मशीन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध अवधि में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

# सांदीपनि विद्यालय केवल भवन नहीं, भविष्य गढ़ने का केंद्र हैः प्रभारी मंत्री पंवार

**नईदुनिया प्रतिनिधि, गैरतगंजः** रायसेन जिले के गैरतगंज में नवनिर्मित शासकीय सांदीपनि उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का सोमवार को प्रभारी मंत्री एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार, सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी और जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा ने लोकार्पण किया।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पंवार ने कहा कि सांदीपनि विद्यालय केवल एक शैक्षणिक भवन नहीं, बल्कि ग्रामीण प्रतिभाओं का भविष्य गढ़ने वाला केंद्र है। यहां से निकलने वाले विद्यार्थी भविष्य में कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को महानगरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और अनुशासित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के साथ अध्ययन करने का आह्वान करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सरकार शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ विद्यार्थियों के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने क्षेत्र में कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की भी जानकारी दी।

कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश कुमार, जनपद पंचायत अध्यक्ष विजय पटेल, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

## राला में जुए के फड़ पर पुलिस की दबिश, 20 हजार नकद जब्त, तीन गिरफ्तार

**भैरूंदा।** भैरूंदा पुलिस ने सोमवार को ग्राम राला में जुए के फड़ पर छापा मारकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से ?20 हजार नकद और 52 ताश के पत्ते जब्त किए, जबकि चार आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना के निर्देशन में चल रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम दांगी को सूचना मिली थी कि खात्याखेड़ी रोड मोड़ के पास कुछ लोग हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई की।

दबिश के दौरान अमित काचले (34), शुभम राजपूत (18) और अंकित राजपूत (21) को गिरफ्तार किया गया। वहीं निर्मल यादव, राजेंद्र तोमर, राजकुमार पंवार और पदम पंवार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से ?20 हजार नकद और ताश की गड्डी जब्त कर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

## स्काउट शिविर के लिए नवांकुर डॉल्फिन विद्यालय का दल रवाना

**नईदुनिया प्रतिनिधि, गंजबासौदाः** भारत स्काउट एवं गाइड के संभाग स्तरीय तृतीय सोपान जांच शिविर में भाग लेने के लिए नवांकुर एवं डॉल्फिन विद्यालय का 18 सदस्यीय स्काउट दल सोमवार को विदिशा के लिए रवाना हुआ। पांच दिवसीय यह शिविर 27 से 31 जुलाई तक ब्रह्म समाज भवन, विदिशा में आयोजित किया जा रहा है।

स्काउट मास्टर संदीप जैन के नेतृत्व में रवाना हुए दल के संबंध में स्काउट मास्टर भागीरथ शर्मा ने बताया कि शिविर में भोपाल संभाग के विभिन्न विद्यालयों के स्काउट एवं गाइड हिस्सा ले रहे हैं। शिविर का संचालन जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व तथा भारत स्काउट एवं गाइड के जिला सचिव हरिहर चतुर्वेदी और डीओसी अनीता पटले के मार्गदर्शन में होगा। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को स्काउटिंग की विभिन्न गतिविधियों के साथ विषम परिस्थितियों में जीवन जीने की कला, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले स्काउट राज्यपाल पुरस्कार जांच शिविर में भाग लेने के पात्र होंगे।


**-:आम-सूचना:-**

मैं अपने पक्षकार लखन सिंह पुत्र श्री लीला किशन, निवासी-ग्राम-जैतपुरा, भोपाल म.प्र. के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार ने विक्रेतागण (1) छगनलाल यादव (वयस्क) पुत्र श्री हजारी लाल यादव एवं (2) श्रीमती मोहन बाई (वयस्क) पुत्री श्री हजारीलाल एवं पत्नी श्री हरगोविन्द, निवासीगण-ग्राम-निपानिया सूखा, तहसील- हुजूर, जिला-भोपाल म.प्र. के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि जिसका खसरा नं. 443 रकबा 0.3200 हेक्टेयर, 444 रकबा 0.2200 हेक्टेयर, 265 रकबा 0.4300 हेक्टेयर, 264/1 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, 266/1 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, 267/1 रकबा 0.1300 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल रकबा 1.4300 हेक्टेयर में विक्रेतागणों का हिस्सा रकबा 1/2 अर्थात् 0.7150 हेक्टेयर अर्थात् 1.76 एकड़ भूमि जो ग्राम-निपानिया सूखा, प.ह.न. 11, तहसील- हुजूर, जिला-भोपाल म.प्र. में स्थित है जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार है दिशा पूरब में-मीना भाई की भूमि, दिशा पश्चिम में-अशोक की भूमि, दिशा उत्तर में-मियां भाई की भूमि, दिशा दक्षिण में-लाल मुरम का रोड है, को क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार ने अनुबंध कर विक्रेतागणो को बयाना राशि अदा कर दी है। यदि उपरोक्त विक्रीत भूमि पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालयों का किसी भी प्रकार का कोई लेन देन हो अथवा उक्त भूमि कही विक्रय, दान,बन्धक, गिरवी, वसीयत, हिवा, हस्तांतरण इत्यादि हो तो वह इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में मय प्रमाण सहित मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें, समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा स्वतत्व, अधिकार या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बन्धनकारी नहीं होगी और मेरा पक्षकार उपरोक्त भूमि का शेष भुगतान कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवाने के लिये स्वतन्त्र रहेंगा ।

**संजय लोधी** एडवोकेट
**लोधी लॉ चेम्बर**
कार्या.- ऑफिस नं. 112, प्रथम तल, संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर, करोंद चौराहा, भोपाल म.प्र.
मो.नं.9752516240

1098

**आम सूचना**

मेरे पक्षकार **बजाज हाउसिंग फायनेंस लि.**, शाखा द्वितीय तल, करतार टॉवर, हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास, भोपाल, की ओर से सर्वसाधारण को सूचित हो कि श्रीमती प्रयत्न राठौर पत्नी योगेन्द्र सिंह राजपूत ने संपत्ति जो कि प्लॉट नं.-01, खसरा क्रमांक 86/1/1, 87, ग्राम-खेजड़ा बरामद, वार्ड नं.-74, तह. हुजूर, जिला भोपाल, में स्थित है, को मेरे पक्षकार के पास बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया है। उक्त सम्पत्ति उन्होंने विमला दीवान से क्रय करने हेतु विक्रय अनुबंध किया है। उक्त संपत्ति का नाप 1750 वर्गफिट व चर्तुसीमायें पूरब-मार्ग, पश्चिम-प्रोपर्टी नं.-42, उत्तर-विक्रेता की भूमि व दक्षिण-प्रोपर्टी नं.-02 हैं। यह कि उक्त सम्पत्ति से संबंधित पूर्व मूल विक्रय पत्र जो कि उप-पंजीयक कार्यालय भोपाल में पुस्तक क्र. ए-1, ग्रंथ क्र. 675, क्र. 4524 (1), दिनांक 22/03/2013 पर पंजीकृत है जिसके द्वारा जमील खान एवं तसलीम बानो उर्फ तसलिम बानो ने उक्त सम्पत्ति धनिराम पाल स्वंय एवं मुख्तारआम अन्य से क्रय की थी, कही गुम हो गई है एवं समस्त प्रयासों के उपरांत भी नहीं मिल रही है। यदि उक्त सम्पति में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी इत्यादि का किसी भी प्रकार का ऋण, भार, दान, बंधक या कोई हित हो या उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का अनुबंध हो तो, वह व्यक्ति, इस सूचना प्रकाशन के **07 दिवस** के अंदर मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित में मय दस्तावेजी प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। यदि उक्त समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान कर देंगे तथा अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली कोई भी आपत्ति या विवाद न तो मेरे पक्षकार पर बंधनकारी होगा एवं न ही मान्य होगा।

भवदीय-**दीपक शर्मा** (एडवोकेट)
कार्या.-ई-5/13-सी,अरेरा कालोनी,भोपाल
मोबाइल-9993001229

1097

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**
www.pmfby.gov.in
UIN:IRDAN126RP0001V01201617

**खरीफ-2026**
फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ
CROP INSURANCE MONTH 1-31 July, 2026 PMFBY

भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित
खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित फसलें : धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर/ तुअर, ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग एवं उडद

वित्तीय संस्थाओं व कृषकों के लिए मुख्य बिन्दु :
- सभी कृषकों का बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल **pmfby.gov.in** द्वारा ही स्वीकृत होगी।
- प्रीमियम राशि केवल **NCIP-Portal** के भुगतान गेटवे **Pay-Gov.** द्वारा ही भेजी जाए।
- सभी कृषकों का आधार नंबर होना अनिवार्य है।

व्हॉटस्अप पर हमसे जुड़े
पीएमएफबीवाई चैट बॉट 7065514447

किसान द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का मात्र 2%

बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31/07/2026

आवश्यक प्रपत्र :
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- भूमि संबंधित दस्तावेज (खतौनी)
- फसल बुवाई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का स्वघोषणा पत्र

बीमा करवाने हेतु संपर्क करें :
- बैंक की किसी निकटस्थ शाखा/सहकारी समिति (जहां उनका बचत खाता है)
- ग्राहक सेवा केन्द्र/ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
- फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर ऑनलाइन
- क्रॉप इंश्योरेंस एप (Crop Insurance App)
- ए.आई.सी. के प्रतिनिधि/कार्यालय अथवा अधिकृत इन्टरमीडियरीज

**एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड**
क्षेत्रीय कार्यालय : जीवन शिखा, केंद्रीय आंचलिक कार्यालय, 60-बी, प्रथम तल, उत्तर विंग, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011, फोन : 0755 - 2676695, ई-मेल : ro.bhopal@aicofindia.com
पंजीकृत कार्यालयः प्लेट बी और सी, 5वीं मंजिल, ब्लॉक 1, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023.
सीआईएनः U74999DL2002PLC118123 आई.आर.डी.ए. पंजीकरण सं. 126
aicofindialtd aicofindia aicofindia aicofindialtd aicofindialtd
कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447
Website : www.aicofindia.com फसल हो या कृषि संपदा। बीमा सुरक्षा हमारा वादा ।।
विज्ञापन मात्र (नियम एवं शर्तें लागू)
बीमा आखेट की विषय वस्तु है।
HO/26-27/1A/11